छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना" होगा।

1.2 पंजीकृत सफाई कर्मकार अथवा उनके परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2,000/– तक चिकित्सा सहायता दवाई क्रय हेतु वर्ष में प्रदाय की जावेगी।

1.3 उक्त भुगतान शासकीय चिकित्सालय/औषधालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित देयक पर (ऐसे देयक उन्ही दवाओं के लिए होंगे जो शासकीय चिकित्सालय/औषधालय में उपलब्ध नहीं हो) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा अधिकृत समस्त चिकित्सालयों के देयको पर सफाई कर्मकारों के बाह्य रोगी चिकित्सा के तहत् स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भुगतान किया जावेगा।

1.4 परिवार के सदस्य से तात्पर्य पति, पत्नी, पुत्र–पुत्री (पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो एवं अविवाहित पुत्री) ।

1.5 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 18 से 60 वर्ष के सफाई कर्मकार एवं उनके परिवार के सदस्य (पति, पत्नी, पुत्र एवं पुत्री) जिनका उल्लेख पंजीयन कार्ड में है,इस योजना के लिए पात्र होंगे। योजना का लाभ दो संतान तक ही मिलेगा।

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

3 **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–**

3.1 सफाई कर्मकार की चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन स्वतः द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

3.2 आवेदन पत्र की जांच करने पर सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुशंसा कर अनुग्रह राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा।

4 **विसंगति का निराकरण–**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

10/3/15

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 **नया रायपुर, दिनांक** 11/3/15

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी............... ....(छ0ग0)

9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)

10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग